श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, जिलाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 16.12.2013 को "विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, मुंगेर" के अभियंताओं के साथ समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- यथा पंजी।

विभाग द्वारा समय-समय पर राजस्व संग्रहण, शत-प्रतिशत मीटर रीडिंग, ससमय विद्युत विपत्र वितरण इत्यादि व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु निर्गत पत्रों में उल्लिखित निदेशों के अनुपालन के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण पत्रों का संक्षिप्त विवरण स्पष्ट करते हुए संबंधित विद्युत अभियंताओं को निम्न निदेश दिए गए :-

1. सचिव, बिहार विद्युत विनियामक आयोग, पटना के पत्रांक 1666, दिनांक 11.12.13 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए वार्षिक प्रदर्शन, संशोधित वार्षिक राजस्व आवश्यकता तथा खुदरा बिक्री के लिए टैरिफ का निर्धारण करने हेतु माननीय बिहार विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष दाखिल की गई याचिकाओं पर विचार, सुझाव अथवा दावा/आपत्ति पर निर्णय हेतु लोक सुनवाई का कार्यक्रम आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के सभागार में दिनांक 21.12.2013 को आहूत की गई है, जिसके सफल संचालन के लिए अधीक्षण अभियंता, विद्युत अंचल, मुंगेर एवं कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मुंगेर कार्यक्रम की सारी तैयारियाँ ससमय पूर्ण करते हुए उक्त निर्धारित तिथि को आयोग के समक्ष उपस्थित रहेंगे।
2. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना द्वारा राजस्व संग्रहण एवं विद्युत विच्छेदन के कार्यो में तेजी लाने के लिए निम्न बिन्दुओं पर दैनिक समीक्षा करने का निदेश दिया गया है, जिसे कार्यपालक अभियंता प्राथमिकता देते हुए अनुपालन कराएँगे :-
   - प्रत्येक डिवीजन में कनीय अभियंताओं को प्रतिदिन 10 विद्युत सम्बन्ध विच्छेदन करने के दिए लक्ष्य को अर्जित करना।
   - प्रत्येक प्रशाखा में एक प्राथमिकी प्रतिदिन अवश्य की जाए।
   - प्रत्येक माह लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति को सुनिश्चित करना।
   - बिलिंज एजेन्सी के द्वारा मीटर रीडिंग की कम्प्यूटर में प्रविष्टि का दैनिक समीक्षा करना।
3. प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक 431, दिनांक 09.12.2013 में मीटर रीडिंग, डाटा इन्ट्री, प्रिन्टिंग, विपत्र वितरण एवं राजस्व वसूली के कार्य को तीन चरणों में प्रतिमाह तिथिवार करने हेतु प्रदत्त निदेश का अनुपालन बिलिंग एजेन्सी/मीटर रीडिंग एजेन्सी के सहयोग से कार्यपालक विद्युत अभियंता सुनिश्चित कराएँगे।
4. मीटर रीडिंग के सरलीकरण हेतु प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक 434, दिनांक 11.12.2013 द्वारा निदेशित किया गया है कि बिलिंग एजेन्सी द्वारा दिए जाने वाले मीटर रीडिंग शीट को ट्रान्सफॉर्मरवार निर्गत करने के लिए प्रमंडल स्तर पर प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रान्सफॉर्मर (D.T.) को एक यूनिक आई0डी0 नम्बर दिया जाए ताकि उपभोक्ता को ट्रान्सफॉर्मरवार सम्बद्ध किया जाए और एक सिस्टम कोड जेनरेट किया जा सके। सर्वप्रथम DT coding का कार्य अगले तीन दिनों के अन्दर पूरा कराने तथा उपभोक्ताओं को ट्रान्सफॉर्मरवार सम्बद्ध किए जाने का कार्य हरहाल में दिसम्बर माह के अन्त तक पूर्ण कराने का निदेश दिया गया है। अतः अधीक्षण अभियंता एवं विद्युत कार्यपालक अभियंता उपरोक्त विभागीय पत्र में निर्णित निदेशों को अनुपालन यथासमय कराना सुनिश्चित कराएँगे।
5. मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 12-13.11.2013 को बिजली समस्याओं के संबंध में विभागीय पदाधिकारियों के साथ सम्पन्न विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए महत्वपूर्ण निदेशों को संक्षिप्त रूप से उल्लेख करते हुए संबंधित विद्युत अभियंताओं को अक्षरशः अनुपालन हेतु निदेश दिए गए :-

- सभी जिला मुख्यालयों के शहर में 100% एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 80% मीटर रीडिंग एवं उसके अनुसार विपत्रीकरण माह दिसम्बर, 2013 तक सुनिश्चित किया जाना।
- रि-कंडक्टरिंग कार्य में गुणात्मक तेजी लाना।
- शिविर लगाकर अधिक-से-अधिक संख्या में नए विद्युत उपभोक्ता बनाया जाना।
- शहरी क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं का शत-प्रतिशत बिलिंग सुनिश्चित कराना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य के लिए विद्युत आपूर्ति हेतु पोल, तार, ट्रान्सफॉर्मर आदि आवश्यकताओं के लिए योजना तैयार करना।
- जिस गाँव का ट्रांसफॉर्मर जल गया है और वहाँ बिजली का बकाया है, तो जबतक उस गाँव से 60% बकाये राजस्व का भुगतान नहीं होता है, तबतक ट्रांसफॉर्मर नहीं बदला जाए।
- दिसम्बर माह के अन्त तक सभी सरकारी आवास/कार्यालय को मीटरीकृत करना तथा नियमित रूप से मासिक विद्युत विपत्र उपलब्ध कराना।
- प्रखण्डवार अभियान चलाकर विद्युत विपत्र उपभोक्ताओं की संख्या में बढ़ोतरी करना जिसके अन्तर्गत नए कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदनों को 30 दिनों के अन्दर निष्पादित कराना।
- LTIS तथा NDS उपभोक्ताओं की पूर्णरूपेण मीटर रीडिंग कराया जाना।
- राजस्व वृद्धि के लिए तीन मुख्य बिन्दु यथा राजस्व वसूली, मीटर रीडिंग, बिल वितरण तथा बड़े बकायेदारों का विद्युत संबंध विच्छेदन तथा उसके भुगतान पर फोकस करना।
- बिजली चोरी के विरूद्ध कार्यपालक अभियंता द्वारा 15 एवं सहायक तथा कनीय अभियंताओं को 25-25 विद्युत उपभोक्ताओं का निरीक्षण करना।
- बिजली चोरी के प्रत्येक मामले में फोटोग्राफी किया जाना तथा फोटोग्राफ को प्राथमिकी में साक्ष्य के रूप में संलग्न किया जाना।

तत्पश्चात् अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व सम्पन्न साप्ताहिक समीक्षा बैठक में प्रदत्त निदेशों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए उपस्थित विद्युत अभियंताओं को निम्नलिखित निदेश दिए गए :-

6. विद्युत कार्यपालक अभियंता के पत्रांक 1817, दिनांक 14.12.13 द्वारा विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडलवार उपलब्ध कराए गए कुल 177 अदद् दर्ज प्राथमिकी की सूची के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि उक्त सूची में वैसे उपभोक्ताओं को भी सूचीबद्ध किया गया है, जिन्होंने बकाया विद्युत की राशि जमा कर दी है। इस निमित्त सभी सहायक अभियंताओं को स्पष्ट निदेश दिया गया कि बकाया राशि जमा करने वाले उपभोक्ताओं को सूची से हटाकर फ्रेश सूची आज संध्या 7:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करा दिया जाए ताकि पुलिस अधीक्षक, मुंगेर को सूचीबद्ध उपभोक्ताओं के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई हेतु अनुरोध किया जा सके।
7. समीक्षा के क्रम में परिलक्षित हुआ कि अधोहस्ताक्षरी के अधीनस्थ कई ऐसे कार्यालयों के विद्युत बिल जिला पदाधिकारी, मुंगेर के नाम से प्राप्त होते हैं, जो वर्तमान में स्वतंत्र कार्यालय के रूप में कार्य कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, वाणिज्य कर/भविष्य निधि/कोषागार/कल्याण/सामाजिक सुरक्षा कोषांग/निबंधन उत्पाद/परिवहन इत्यादि। अतः अधीक्षण अभियंता तथा कार्यपालक विद्युत अभियंता को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर जिला पदाधिकारी अधीनस्थ ऐसे कार्यालयों का भ्रमण कर चिन्हित करते हुए अलग मीटर अधिष्ठापित कराते हुए मासिक विपत्र कार्यालयवार संबंधित पदाधिकारी को भेजवाना सुनिश्चित करेंगे।

8. पूर्व सम्पन्न बैठक में प्रदत्त निदेश के अनुपालन के क्रम में विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत अंचल, मुंगेर ने अपने पत्रांक 5051, दिनांक 14.12.2013 द्वारा पुलिस अधीक्षक, मुंगेर एवं उसके अधीनस्थ थाना/ओ0पी0/अन्य पुलिस कार्यालयों में विद्युत बकाए राशि की गणना करते हुए समेकित विवरणी पुलिस अधीक्षक, मुंगेर को उपलब्ध कराकर उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी दी गई है। पुलिस अधीक्षक, मुंगेर ने दूरभाष पर बताया कि उन्हें आवंटन प्राप्त है तथा वे एक सप्ताह के अंदर संपूर्ण बकाए राशि का भुगतान कर देंगे। निदेश दिया गया कि नियमित व्यवस्था के तहत् विद्युत विपत्र उपलब्ध कराने तथा मीटर गड़बड़ी के साथ अन्य कोई विद्युत संबंधी असुविधा होने पर उसके निराकरण की सुगम व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाए।

9. विद्युत कार्यपालक अभियंता को पुनः निदेश दिया जाता है कि सदर अस्पताल, मुंगेर/अनुमंडलीय अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/स्वास्थ्य उपकेन्द्र के बकाया राशि का आंकलन करते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को विद्युत विपत्र भेजते हुए उसकी प्रति सिविल सर्जन, मुंगेर को उपलब्ध कराएँगे ताकि बकाया राशि के भुगतान की कार्रवाई की जा सके।

10. पूर्व आहूत बैठक में कार्यपालक अभियंता को यह जिम्मेवारी दी गई थी कि सभी अनुमंडल/प्रखंड/अंचल मुख्यालयों का विद्युत विपत्र मद में बकाये राशि की गणना कर संख्यात्मक प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को आगामी बैठक में उपस्थापित कराएँगे, परन्तु उक्त प्रतिवेदन अप्राप्त है, अतः निदेश दिया गया कि यथाशीघ्र प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाए।

11. सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 5358, दिनांक 29.11.13 द्वारा सरकारी कार्यालयों एवं बिजली कम्पनी के मध्य बिजली बिल से संबंधित समस्याओं को सुलझाने हेतु प्रत्येक माह की 10वीं तारीख (अवकाश होने की स्थिति में अनुवर्त्ती दिवस अर्थात् 11वीं तारीख) को समाहरणालय परिसर में कैम्प आयोजित करने के प्रदत्त निदेश का अनुपालन निश्चितरूपेण कराया जाए।

12. दिनांक 28-29.11.2013 को जिलान्तर्गत नगर क्षेत्र में नए विद्युत सम्बन्ध स्थापित करने के लिए आयोजित विशेष शिविर में प्राप्त आवेदनों के विरूद्ध दिनांक 16.12.2013 तक निष्पादित आवेदनों की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र0	नगर क्षेत्र	प्राप्त आवेदनों की सं0	विद्युत सम्बन्ध निष्पादित आवेदन की सं0	प्रतिशत
1	मुंगेर	552	171	30.98 %
2	जमालपुर	413	317	76.75 %
3	तारापुर	450	354	78.67 %
4	खड़गपुर	173	160	92.48 %
कुल		**1588**	**1002**	**63.10 %**

सभी कनीय विद्युत अभियंताओं को निदेश दिया गया कि दिनांक 28-29.11.13 को आयोजित विशेष शिविर में प्राप्त आवेदनों का शत-प्रतिशत निष्पादन इस सप्ताह के अन्त तक निश्चित रूप से कर लिया जाए।

विदित हो कि दिनांक 18.12.2013 को विद्युत संबंधी विडियोकॉन्फ्रेंसिंग निर्धारित होने के फलस्वरूप नगर क्षेत्र (मुंगेर, तारापुर, खड़गपुर) में नए विद्युत कनेक्शन हेतु दिनांक 20.12.2013 को शिविर आयोजित करने के निर्णय पर बैठक में उपस्थित सभी विद्युत अभियंताओं द्वारा सहमति व्यक्त की गई। इस हेतु कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि उपरोक्त कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए सभी आवश्यक तैयारियाँ निश्चित रूप से कर ली जाए। साथ ही पर्याप्त संख्या में नए कनेक्शन लेने हेतु आवेदन पत्रों की छपाई निर्धारित रंग एवं प्रपत्र में स्थानीय दर पर 15,000 की अधिकतम सीमा में करने का निदेश दिया गया।

13. बैठक में उपस्थित सहायक अभियंता ने आश्वस्त किया कि सफियाबाद में 10MVA का उपलब्ध कराए गए ट्रांसफॉर्मर के installation का कार्य इस सप्ताह में निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाएगा।

14. जनवरी, 2014 से उर्जा विभाग इस कार्य हेतु कृत संकल्पित है कि फीडरवार वसूली के समानुपात में उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति किया जाए, परन्तु पूर्व बैठकों में समीक्षोपरान्त यह स्पष्ट होना चिंताजनक है कि जिले के कुल 29 फीडरों, यथा-मुंगेर-10, जमालपुर-12, तारापुर-04 एवं खड़गपुर-03 में से अधिकांश विद्युत अभियंता द्वारा फीडरवार वसूली संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। अतः पुनश्च कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि विशेष अभिरूचि लेते हुए संबंधित विद्युत अभियंताओं से माह दिसम्बर, 2013 तक फीडरवार मांग एवं वसूली से संबंधित प्रतिवेदन आगामी साप्ताहिक बैठक में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित किया जाए।

15. वैकल्पिक व्यवस्था के तहत प्रखंड मुख्यालय भवन/कार्यालय में विद्युत कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करते हुए विद्युत बिल जमा लेने एवं नए कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र प्राप्ति के लिए काउण्टर की व्यवस्था सभी प्रखंडों, यथा- **धरहरा, असरगंज, बरियारपुर, टेटियाबंबर एवं संग्रामपुर** में कर दी गई है। इसी क्रम में कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि अपनी देख-रेख में उपरोक्त प्रखंड मुख्यालय भवन/कार्यालय में कार्यरत् काउण्टरों के माध्यम से प्रखंडवार विद्युत बिल वसूली की साप्ताहिक विवरणी से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएँगे।

16. कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि जिले में कार्यान्वित मीटर रीडिंग एजेन्सी में कार्यरत् कर्मियों की संख्या यथावत् है, जो निम्न है :-

Sl. No.	Block	Meter Reading Agency	working employee
1	Munger	6	30
2	Jamalpur	6	24
3	Tarapur	3	12
4	Kharagpur	1	10
	Total	**16**	**76**

17. निदेश दिया गया कि आगामी साप्ताहिक बैठकों में बिलिंग एजेन्सी के कार्यकारी को भी उपस्थित होने हेतु सूचना निर्गत करेंगे।

18. विभागीय निदेश के अनुसार मीटर रीडिंग का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता सूची में रखा गया है जिसके अन्तर्गत शहरी क्षेत्र, वाणिज्य उपभोक्ताओं (LTIS-1) तथा बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं (LTIS-2) की शत-प्रतिशत मीटर रीडिंग करना है। पुनः निदेश दिया गया कि मीटर रीडिंग एजेन्सी एवं कार्यरत् कर्मियों के कार्यो की समीक्षा नियमित रूप से की जाए, ताकि मीटर रीडिंग की संख्या में अपेक्षित बढ़ोतरी के साथ शत-प्रतिशत लक्ष्य अर्जित की जा सके।

19. विद्युत कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि विधानसभा क्षेत्रवार आवश्यकता आधारित 16KVA तथा 25KVA को बदलकर क्रमशः 63KVA तथा 100KVA के ट्रांसफॉर्मरों की सूची माननीय सांसद एवं माननीय विधायकों को पुनः उपलब्ध कराते हुए सहमति प्राप्त कर ट्रांसफॉर्मरों का प्राक्कलन संबंधित विद्युत अभियंता से यथाशीघ्र प्राप्त कर जिला योजना कार्यालय को भेजते हुए उसकी अद्यतन स्थिति संबंधी प्रतिवेदन आगामी बैठक में उपस्थापित किया जाए।

20. प्रत्येक अनुमंडल में 132/33KVA का ग्रीड सब-स्टेशन का स्थापना किया जाना है, जिसका शत-प्रतिशत उपलब्धि अर्जित करने का निदेश विद्युत कार्यपालक अभियंता को दिया गया।

21. कार्य0 अभि0 द्वारा बताया गया कि 10,000/- रूपये से उपर कुल 15421 विद्युत विपत्र बकायेदार उपभोक्ताओं की अनुमंडलवार सूची निम्नवत् है :-

क्र0	अनुमंडल कार्यालय	कुल बकायेदारों की संख्या	दिनांक 16.12.13 तक विद्युत विच्छेदित उपभोक्ताओं की सं0	प्रतिशत
1	मुंगेर सदर	5604	476	5.50%
2	जमालपुर	4302	1030	23.94%
3	तारापुर	3646	564	15.47%
4	खड़गपुर	1869	565	30.23%
कुल		**15421**	**2635**	**17.09%**
बकाया राशि जमा करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या			**3984**	

स्पष्ट है कि बकायेदार 15421 उपभोक्ताओं में से 3984 उपभोक्ताओं द्वारा बकाया राशि जमा कर दिए जाने से अब कुल बकायेदार उपभोक्ताओं की संख्या 9815 है, जिसके विद्युत सम्बन्ध विच्छेदन का कार्य द्रुत गति से नियमित रूप से करने का निदेश सभी सहायक/कनीय अभियंताओं को दिया गया। साथ ही आगामी साप्ताहिक बैठक में अनुमंडलवार बकायेदार उपभोक्ताओं द्वारा जमा किए गए राशि एवं उपभोक्ताओं की संख्यात्मक विवरणी अधोलिखित प्रपत्र में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया :-

विद्युत अवर प्रमंडल	कुल बकायेदार उपभोक्ताओं की सं0	बकाया राशि जमा किए गए उपभोक्ताओं की सं0	जमा राशि	विद्युत विच्छेदित उपभोक्ताओं की सं0	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*

22. निर्णय लिया गया कि चेंकिंग के दौरान संज्ञान में आए गलत तरीके से बिजली चलाने वाले उपभोक्ताओं तथा विद्युत से संबंधित नीलाम पत्र वाद में सन्निहित राशि की वसूली हेतु विधिसम्मत कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक, मुंगेर को अधोहस्ताक्षरी के स्तर से अनुरोध किया जाए।

23. **Reconducturing:-** समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि रि-कंडक्टरिंग कार्य में प्रगति काफी कम हो रही है। स्पष्ट है कि कुल 619 कि0मी0 में से अबतक कुल 355.31 कि0मी0 एवं दिनांक 16.12.13 तक 11.91KM ही Reconducturing का कार्य किया गया है। विद्युत अनुमंडल कार्यालयवार संक्षिप्त विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र0	विद्युत अवर प्रमंडल	लक्ष्य (कि0मी0)	नवम्बर तक (कि0मी0)	16.12.13 तक (कि0मी0)	कुल Reconducturing	प्रतिशत
1	मुंगेर	60	47.12	1.0	48.12	80.20%
2	जमालपुर	237	126.36	3.0	129.36	54.52%
3	तारापुर	190	126.71	5.91	132.62	69.80%
4	खड़गपुर	132	43.21	2.0	45.21	34.25%
	कुल	**619**	**343.40**	**11.91**	**355.31**	**57.40%**

विभागीय निदेशानुसार प्रति माह कम-से-कम 25 कि0मी0 Reconducturing के लक्ष्य को अबतक अर्जित नहीं किया जाना खेदजनक है। इस हेतु कार्य0 अभि0 को निदेश दिया गया कि लक्ष्य के अनुरूप Reconducturing कार्य सुनिश्चित करने हेतु हरसंभव प्रयास किए जाएँ।

24. कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि विद्युत बिल से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु जिला जनता दरबार से भेजे गए आवेदनों का निष्पादन नियमित रूप से करते हुए प्रगति प्रतिवेदन संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

25. शहरी क्षेत्रों, यथा– मुंगेर, जमालपुर, तारापुर एवं खड़गपुर में 100% मीटर रीडिंग एवं नए कनेक्शन दिए जाएँ। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही मान्य नहीं होगा।

26. विद्युत connection लेने वाले नए उपभोक्ताओं की सुगमता हेतु समय–समय पर शिविर लगाने का निदेश दिया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

16/12/13

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 2531/गो0, दिनांक 16/12/2013

प्रतिलिपि : अधीक्षण अभियंता, विद्युत/कार्य0अभि0 विद्युत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्य0अभि0, विद्युत आपूर्ति, अंचल, मुंगेर इसकी प्रति अपने स्तर से सभी संबंधितों को उपलब्ध करायेंगे।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मुंगेर/नीलाम पत्र पदाधिकारी, मुंगेर/प्रभारी पदाधिकारी, जिला जनशिकायत कोषांग, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/13

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 2531/गो0, दिनांक 16/12/2013

प्रतिलिपि : अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन लि0, विद्युत भवन बेली रोड, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रबंधन निदेशक, नॉर्थ/साउथ बिहार पावन डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, विद्युत भवन बेली रोड, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

16/12/13

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।